(223)

II/निग्रा/रीवा/2018/0260

राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट–रीवा (म.प्र.)

20 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

Rs 30/-

मो. मकसूद तनय मो. मुस्ताक, उम्र–47 वर्ष, **अध्यक्ष**–बक्फ इन्तजामिया कमेटी कब्रस्तान निपनिया तहसील–हुजूर, जिला–रीवा (म.प्र.) ....**निगरानी/आवेदक**

आवे० मो० मकसूद द्वारा पेश 08-1-18

बनाम

1.रमेश कुमार तनय स्व.रामकिशोर यादव, उम्र–50 वर्ष, पेशा–व्यवसाय

2.श्रीमती बीना पत्नी स्व.रामलखन यादव, उम्र–50 वर्ष, पेशा–गृहणी

दोनों निवासी मोहल्ला–गुड़हाई बाजार रीवा, तहसील–हुजूर, जिला–रीवा (म.प्र.)

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

3.दिलीप कुमार तनय स्व.चन्दूमल सोनी, उम्र–54 वर्ष, पेशा–व्यवसाय

4.भागचन्द्र तनय स्व. चन्दूमल सोनी, उम्र–50 वर्ष, पेशा–व्यवसाय

5.दीपू सोनी तनय श्री भागचन्द्र सोनी, उम्र–30 वर्ष, पेशा–व्यवसाय

6.श्रीमती निशा सोनी पत्नी दीपू सोनी, उम्र–28 वर्ष, पेशा–व्यवसाय

चारों निवासी मोहल्ला–नगरिया, तहसील–हुजूर, जिला–रीवा (म.प्र.)

7.शासन म.प्र. द्वारा जिला कलेक्टर रीवा (म.प्र.) ....**गैनिग.कर्तागण/अना.गण**

निगरानी बिरुद्ध न्यायालय अपर कलेक्टर रीवा (म.प्र.) द्वारा प्र. क्र. 02/मूल/बी–121/2017–18 में पारित आदेश दिनांक–30.11.2017

निगरानी अन्तर्गत धारा–50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता–1959 ई.

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं:–

1.यह कि अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्ज्र रीवा (म.प्र.) के समक्ष निगरानीकर्ता/आवेदक द्वारा म. प्र. भू–राजस्व संहिता–1959ई. की धारा 158 (3) एवं 165 (7–ख) के तहत आवेदन–पत्र प्रस्तुत कराया गया था। जिसका संक्षिप्त तथ्य यह है कि ग्राम निपनिया, तहसील–हुजूर, जिला–रीवा (म. प्र.) अन्तर्गत स्थित भूमि ख.नं. **321** रकवा **1.00**ए. (0.405हे.) पुराना ख.नं. 146मि रकवा 0.12ए. एवं 147/2 रकवा 0.88ए. पर **मुस्लिम समुदाय का पुस्तैनी कब्रस्तान है।** किन्तु राजस्व अभिलेखों में शासन म.प्र. एवं रास्ता/सड़क दर्ज था। जिसे अनाधिकार व अवैधानिक तरीके से तहसीलदार, तहसील–हुजूर, के **व्यवस्थापन** प्र.क्र 70/बी–121/13–14 आदेश दिनांक –08.01. 2014 से गैरनिग.कर्ता क्र.1 अपनें नाम दर्ज करानें के बाद किसी सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के बिना ही गैरनिग.कर्ता/अना. क्र.3 ता 6 के पक्ष में पंजी. बिक्रय–पत्र दिनॉक–13.10.2014 से बिक्रय कर दिया हैं और उनके पक्ष में तहसीलदार के पंजी क्र. 97 आदेश दिनांक–06.05.2015 से नामांतरण करा दिया है। **जबकी संहिता की धारा 158 (3) एवं 165 (7–ख) के अनुसरण में व्यवस्थापन की तारीख से 10 वर्ष की कालावधि तक एवं उसके पश्चात जिला–कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना अना. क्र.1 को शासन से पट्टा प्राप्त भूमि को बिक्रय करनें का अधिकार नहीं है। तदानुसार** उसके द्वारा सरकार पट्टा की भूमि को बिक्रय करके संहिता की **धारा 158 (3) एवं 165 (7–ख) के** बिधिक उपबन्धों एवं पट्टा की शर्तों का

08/01/2018

क्रमशः पेंज–2

(223)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक II / निग0 / रीवा / भू–रा0 / 2018 / 0260 जिला रीवा

मो0 मकसूद / रमेश कुमार यादव वगैरः

(1)	(2)
19.12.18 -	1. आवेदक की ओर से श्री राम नारायण पटेल अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 02 / मूल / बी–121 / 2017–18 में पारित आदेश दिनांक 30.11.17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14.03.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य